कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी	सर्वश्री एम0 के0 डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम0आई0जी0-20, नैपियर रोड़ कालोनी,पार्ट-II,लखनऊ ।
प्रार्थना पत्र संख्या	79/09
प्रार्थी की ओर से	डा0एम0एच0आबदी, स्वामी फर्म व श्री एस0आर0यादव, अधिवक्ता

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या-79/09, दिनांक 21-08-2009 को प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से उनके द्वारा **सेसा आयल** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2- फर्म की ओर से श्री एम0 एच0आबदी, स्वामी फर्म व श्री एस0 आर0 यादव, अधिवक्ता उपस्थित हुए । उनके
द्वारा बताया गया कि फर्म डिप्टी कमिश्नर, खण्ड-18, लखनऊ में पंजीकृत है तथा उनका टिन नम्बर-09352201784 है ।
बताया उक्त सम्बन्ध में कोई मामला किसी कोर्ट ऑफ ला / अधिकरण आदि में लम्बित नहीं है । व्यापारी द्वारा बताया
गया कि उनके द्वारा सेसा आयल की खरीद-बिक्री का कार्य किया जाता है । बताया सेसा आयल आयुर्वेदिक औषधि है
अत: इस पर अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-41 के तहत 4% की करदेयता होनी चाहिए ।

3- व्यापारी द्वारा लिखित स्पष्टीकरण दाखिल किया गया । सेसा आयल मेसर्स बान लैब्स प्रा0लि0, देहरादून द्वारा
निर्मित है । आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं के डायरेक्टर -डा0पूजा भारद्वाज द्वारा पत्र संख्या-18619-20 /डी-62 /2008-
09 /ड्रग्स, दिनांक 26-03-09 द्वारा उन्हें आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के निर्माणार्थ औषधि निर्माण लाइसेन्स दिया
गया है तथा जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देहरादून द्वारा दिनांक 19-12-07 द्वारा सेसा आयल को आयुर्वेदिक
मेडिसिन होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है । उन्होनें यह भी बताया कि कमिश्नर, कस्टम एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज
द्वारा भी सेसा आयल को चेप्टर-3003 के अन्तर्गत मेडिकामेन्ट की श्रेणी में माना गया है । प्रार्थी के अनुसार ड्रग
लाइसेन्स अथारिटी व एक्साइज विभाग -दोनों द्वारा सेसा आयल को आयुर्वेदिक औषधि के रुप में माना गया है तथा
कमिश्नर, कामर्शियल टैक्स, गुजरात द्वारा अपने आदेश दिनांक 19-7-07 द्वारा सेसा आयल को आयुर्वेदिक औषधि
माना गया है । आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिसिन के डायरेक्टर, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा दिनांक 26-03-09 द्वारा यह
प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है कि सेसा आयल का निर्माण आयुर्वेद, सिध्द / यूनानी ड्रग्स के निर्माण के फार्मूला के
अनुसार किया जाता है ।

4- प्रार्थी का कहना है कि सेसा आयल में गोधूमा तेल एवं दुग्ध है जो बालों को असामायिक सफेद होने व बाल
को गिरने से रोकता है । इसके अतिरिक्त सेसा आयल में अन्य के अलावा खेशराज /त्रिफला भी है जो ऑखों
की रोशनी व रतौधी तथा माइग्रेन नामक सिरदर्द को भी ठीक करता है । प्रार्थी के अनुसार सेसा आयल में
मौजूद रसवन्ती / लेमन आयल डैन्ड्रफ व स्कैल्प की स्किन के डिसआर्डर को ठीक करता है । यह तेल बालों की
जड़ों को न्यूट्रीशन प्रदान करता है । सिर का बैक्टीरियल तथा फंगल इनफेंक्शन को दूर करता है तथा नर्वस डिसआर्डर
को ठीक करने के साथ-साथ बालों में रक्त के संचार को ठीक करता है । प्रार्थी का कहना है कि कामन पारलेन्स में

---------2

सेसा आयल को आयुर्वेदिक औषधि माना जाता है। प्रार्थी का यह भी कहना है कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा**
सर्वश्री प्यूमा आयुर्वेदिक हर्बल लि0 बनाम कमिश्नर, सेन्ट्रल एक्साइज, नागपुर, 2006 एस0टी0सी0, (वाल्यूम-145)
200 के वाद में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सेसा आयल आयुर्वेदिक औषधि की श्रेणी में आता हैं। उनका यह भी
कथन है कि यह तेल डाक्टर के प्रिसक्रिप्सन पर दवा बिक्रेताओं द्वारा बेचा जाता है। प्रार्थी का यह भी कहना है कि
सर्वश्री डेज मेडिकल स्टोर बनाम कमिश्नर, ट्रेड टैक्स-134 एस0टी0सी0-14 के मामले में केयो कार्पिन को हेयर
आयल न मानकर आयुर्वेदिक औषधि माना गया है। इसी प्रकार **सर्वश्री शर्मा केमिकल बनाम कमिश्नर, सेन्ट्रल**
एक्साइज,कलकत्ता-2003 (154) ई0एल0टी0-328 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनफूल तेल को
आयुर्वेदिक औषधि माना गया है। अत: प्रार्थी के अनुसार सेसा आयल को भी आयुर्वेदिक औषधि माना जाना चाहिए।
प्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में **सर्वश्री इमामी लि0** के मामले में माननीय वाणिज्य कर अधिकरण, कानपुर की खण्ड
पीठ द्वारा दिनांक 29-12-2009 को दिये गये निर्णय का हवाला भी दिया है जिसमें **नवरत्न आयल** को भी मेडिसिन माना
गया है। प्रार्थी का कहना है कि चूँकि सेसा आयल को कामन पारलेन्स में आयुर्वेदिक औषधि समझा जाता है, इसे ड्रग
लाइसेंन्स के अन्तर्गत तैयार किया जाता है और चूँकि यह तेल सिर व बालों की कई बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज
करता है अत: सेसा आयल पर करदेयता आयुर्वेदिक मेडिसिन की भाँति उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम
2008 की अनुसूची-दो, भाग-क की प्रविष्टि सं0-41 के अन्तर्गत 4प्रतिशत की दर से होनी चाहिए, जो कि निम्नवत है :-

41	**Drugs & Medicines** including vaccines, syringes and dressing, medicated ointments, light liquid paraffin of IPgrade; Chooran; suger pills for medicinal use in homeopathy.

5- डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-18, लखनऊ से आख्या माँगी गई। कर निर्धारण अधिकारी ने अपनी
आख्या में कहा गया है कि सेसा आयल औषधि की श्रेणी में नहीं आता है। उनका कहना है कि कुछ औषधि संघटकों का
प्रयोग करने के कारण ही सेसा आयल औषधि की श्रेणी में नहीं आ जाता है। उनका कहना है कि सेसा आयल का प्रयोग
सौन्दर्य प्रसाधन के रुप में किया जाता है, अत: इसे औषधि के रुप में वर्गीकृत किया जाना उचित नहीं होगा।

6- मेरे द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विभागीय आख्या व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सेसा आयल के कार्टन पर अंकित सेसा
आयल की विशेषताओं और सेसा आयल के निर्माता द्वारा जारी बुकलेट पर अंकित सेसा आयल की विशेषताओं तथा
न्यायिक निर्णयों का अवलोकन किया गया।

7- प्रार्थी द्वारा सेसा आयल के निर्माता द्वारा विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं के संबंध में जो बुकलेट जारी की गई
है उसमें सेसा आयल के बारे में निम्न शब्द अंकित किये गये हैं :-

" For Promoting Thicker, Healthier and longer Hair "

इसी प्रकार सेसा आयल की पैकिंग जिस कार्टन में की गई है उसमें भी सेसा आयल के बारे में हिन्दी में
निम्नलिखित विशेषताऐं अंकित हैं :-

-----3

" सेसा तेल चुनी हुयी वनस्पतियों को वनस्पति तेलों में सिध्द करके बनाया गया है । यह बालों की जड़ों को पोषक तत्व प्रदान करता है जिससे बाल लम्बे, घने, मुलायम, काले और चमकदार रहते हैं । सेसा तेल बालों को गिरने से रोकता है ।"

8- माल के निर्माता द्वारा सेसा तेल के संबंध में विज्ञापित की गई उपरोक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि माल के निर्माता विचाराधीन तेल को यह कहकर बेचते है कि यह तेल बालों को लम्बा, घना, मुलायम व काला रखता है । माल के पैकिग कार्टन पर कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि यह तेल सिरदर्द व माइग्रेन को ठीक करने के काम आता है या सिर तथा बालों की बीमारियों को रोकता या ठीक करता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सेसा तेल की उत्पादन व बिक्री बालों के सौदर्य प्रसाधन के रुप में की जाती है । बालों को गिरने से रोकने, लम्बा, घना, मुलायम, काला और चमकदार बनाना सौदर्य प्रसाधन के अन्तर्गत आता है । अत: प्रार्थी का यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है कि सेसा आयल पर करदेयता औषधियों की भॉति होनी चाहिए । चूँकि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-दो भाग-क की प्रविष्टि सं041 में सौदर्य प्रसाधन का कोई उल्लेख नहीं है अत: सेसा आयल पर करदेयता शिड्यूल-पॉच के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तुओं की भॉति रहेगी ।

9- जहॉ तक प्रार्थी के इस तर्क का प्रश्न है कि सेसा आयल का उत्पादन ड्रग्स लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता है इसलिए इसे आयुर्वेदिक औषधि माना जाना चाहिए, उनका यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्यों कि किसी वस्तु का ड्रग एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंस के अन्तर्गत बनाया जाना ही उस वस्तु को औषधि के रुप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त नहीं है । किसी वस्तु को औषधि के रुप में तब ही वर्गीकृत किया जाता है तब वह वस्तु मनुष्यों या पशुओं की किसी बीमारी के बचाव, रोकथाम या इलाज के काम आती है । प्रार्थी द्वारा सेसा आयल की पैकिंग कार्टन पर सेसा आयल के संबंध में जो विशेषताऐं वर्णित की गई है उससे स्पष्ट है कि सेसा आयल का प्रमुख प्रयोग किसी बीमारी की रोकथाम, बचाव व इलाज करना नहीं है बल्कि बालों को काला, घना,मुलायम, लम्बा करना है । जहॉ तक सर्वश्री शर्मा केमिकल बनाम कमिश्नर,सेन्ट्रल एक्साइज,कलकत्ता (उक्त) के वाद में दिये गये निर्णय का प्रश्न है तो वह निर्णय एक्साइज एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत दिया गया था और माननीय न्यायालय ने यह पाया था कि उस वाद में विवादित वस्तु " बनफूल आयल " का प्रयोग दवा की भॅाति किया जाता है जबकि विचाराधीन मामले में ऐसा नहीं है । इसी प्रकार सर्वश्री इमामी लि0 के मामलें में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 29-12-09 को दिया गया निर्णय अधिकरण द्वारा उस प्रकरण में पाए गयें तथ्यों पर आधारित है । अत: इस निर्णय के आधार पर भी यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है कि सेसा आयल आयुर्वेदिक औषधि है । जहॉ तक कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा दिनांक 13-08-09 को दिये गये निर्णय में इमामी नवरत्न आयल को औषधि माने जाने का प्रश्न है तो यह निर्णय भी उक्त मामले के तथ्यों पर आधारित है । उक्त मामले में यह नहीं पाया गया था कि निर्माता ने स्वयं ही पैकिंग कार्टन पर तेल का प्रयोग बालों को लम्बा, घना, काला, मुलायम व चमकदार करने के लिए बताया हो । अत: उक्त निर्णय से भी प्रार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है । उल्लेखनीय है कि **कमिश्नर बिक्रीकर बनाम राज एण्ड कम्पनी, 1985 यू0पी0टी0सी0503: (1985) 62 एस0टी0सी076** के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किसी तेल के दवा होने या न होने के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित की गई है :-

--------4

" Whether the product under consideration is hair oil or medicine cannot be decided solely on the basis of the fact that on the carton of the product under consideration various medicinal properties were advertised, and simply because of it, it cannot be held that the product falls in category of medicines.

The fact remains that on the carton it was made clear that the oil had the qualities, which are useful for human hair. Therefore, such thing is hair oil, not medicine. Simply because it was made of medicinal herbs or it was useful for dandruff, prevents hair falling and is conducive to coolness of mind, it does not become medicine but it remains hair oil nonetheless because ultimately it makes the hair look beautiful and that is the purpose of hair oil. If the oil the Assessee were merely medicine, then in addition to this, one would have required application of oil further to grease the hair that was not required after use of the oil under consideration. Therefore, it was nothing but hair oil."

10- उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रुप से कहा है कि रोशन शीतल तेल यद्यपि अनेक ऐसी जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है जिसमें औषधि का गुण होता है फिर भी यह दवा न होकर सौधर्य प्रसाधन है। उक्त निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई उत्पाद बालों के लिए उपयोगी है तो उसे दवा नहीं बल्कि **Hair oil** माना जाना चाहिए। विचाराधीन मामले के तथ्य भी राज एण्ड कं0 (उक्त) वाद से मिलते जुलते ही हैं। विचाराधीन मामले में सेसा तेल के निर्माता ने पैकिंग कार्टन पर स्वयं ही यह विज्ञापित किया है कि यह तेल बालों को घना, काला, लम्बा व **चमकीला बनाता है।** **प्रार्थी** का यह तर्क भी नहीं है कि ऐसा आयल को लगाने के बाद बालों की ग्रीसिंग के लिए कोई अन्य तेल भी लगाना होता है। अत: राज एण्ड कम्पनी (उक्त) वाद में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय प्रार्थी के मामले में पूरी तरह से लागू होता है।

11- इसी प्रकार **गुजरात उच्च न्यायालय** ने **दण्डवाला बनाम स्टेट आफ गुजरात** (1993) 88 S T C 459 के वाद में कहा है कि यद्यपि दण्डवाला केशकल्प कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया जाता है, इसमें ऐसी विशेषताऐं होती हैं जिससे यह scalp की कुछ बीमारियों का इलाज भी करता है फिर भी यह औषधि नहीं है बल्कि Hair oil है। **सर्वश्री प्रभूनाथ शर्मा बनाम कमिश्नर आफ कामर्शियल टैक्सेज, (2000) 120 एस0 टी0 सी0 241** के मामले में पश्चिम बंगाल टेक्सेशन ट्रिव्यूनल ने यह व्यवस्था स्थापित की है कि किसी वस्तु का निर्माण ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 में प्राप्त लाइसेंस के अर्न्तगत किये जाने मात्र से यह निश्चयात्मक रुप से नहीं कहा जा सकता है कि वह वस्तु औषधि है। इसी प्रकार **कमिश्नर बिक्रीकर मध्य प्रदेश बनाम सर्वश्री साधना औषधालय, (1963) 14 एस0 टी0 सी0 813** के मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि यद्यपि महाभृंगराज हेयर आयल डैन्ड्रफ को रोकता है, बालों को गिरने से रोकता हैं और गंजेपन को रोकता है, फिर भी इसे आयुर्वेदिक औषधि नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस तेल का उपयोग अंतिम रुप से बालों को सुन्दर बनाने के लिए किया जाता है।

11- उपरोक्त न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट है कि यदि किसी तेल का प्रयोग बालों को घना, काला, लम्बा, मुलायम और चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, तो वह तेल आयुर्वेदिक औषधि न होकर सौन्दर्य प्रसाधन की श्रेणी में ही आता है।

----5

12- उपरोक्त विवेचना को देखते हुए प्रार्थी द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर यह कहते हुए दिया जाता है कि सेसा आयल आयुर्वेदिक औषधि की भाँति करयोग्य नहीं है, बल्कि यह बालों के लिए सौन्दर्य प्रसाधन है जो कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की अनुसूची-एक से चार तक में वर्णित न होने के कारण अवर्गीकृत वस्तु की भाँति अनुसूची -पाँच में करयोग्य है।

13- उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

ह० 7-6-10
(चन्द्रभानु)
कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

जून 07 ,2010

7/6/10
प्रमाणित प्रतिलिपि